फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री हरिराम राजपुरोहित
जाति राजपुरोहित
निवासी मु.पो. तंवरी वाया कालन्द्री
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 03 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.01.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 14.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही के पत्र क्रमांक/सतर्कता/ई–समाधान/07/749 दिनांक 24.02.2007 के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली एवं अपीलांट द्वारा दिनांक 01.10.2018 को जिला कलक्टर सिरोही को दिए गए ज्ञापन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 14.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही के पत्र क्रमांक/सतर्कता/ई–समाधान/07/749 दिनांक 24.02.2007 के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली एवं अपीलांट द्वारा दिनांक 01.10.2018 को जिला कलक्टर सिरोही को दिए गए ज्ञापन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया गया कि उपरोक्त सूचना के लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपीलांट को दिनांक 24.11.2021 को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है, जो अपीलांट ने स्वयं ने कार्यालय में उपस्थित [illegible] की पावती दी है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2022.01.17 16:58:10 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner